निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार पटना।
आदेश

सं0 सं०–4बी / लिपिक–02–42 / 2026 **पटना, दिनांक–**

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, वैशाली का ज्ञापाक–572 / स्था0, दिनाक–30 06 2025 के द्वारा दिनाक–10 06.2025 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति के बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर सिविल सर्जन, वैशाली का पत्राक–371, दिनांक–17 02 2026 के द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आधार पर वर्ग–3 (तृतीय वर्ग) समूह–"ग" (निम्नवर्गीय लिपिक) के पद पर स्वीकृत वेतनमान् 5,200–20,200, ग्रेड पे–1,900 / –, लेवल–2 के साथ–साथ सरकार द्वारा समय–समय पर देय अन्य भत्तों क साथ अस्थायी एवं औपबधिक रूप से निम्नांकित शर्त्तों के साथ अनुशसित अभ्यर्थी को उनके नाम के सामने अकित स्वास्थ्य सस्थान में तृतीय वर्ग समूह–"ग" (निम्नवर्गीय लिपिक) के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है:–

क्रम स0	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मी का नाम एव पता	मृतक सरकारी सेवक का नाम जिनके आश्रित पुत्र को नियुक्त किया गया है	पदनाम एवं वेतनमान	पदस्थापित सस्थान का नाम
1	श्री अनमोल कुमार, पिता–श्री सुधीर कुमार सिह, ग्राम– रघुनाथपुर, वार्ड नं0–10, पोस्ट– रघुनाथपुर, थाना– हलई ओ0 पी0, जिला–समस्तीपुर, पिन कोड–848505	स्व0 किरण कुमारी, ए0एन0एम0, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जन्दाहा, वैशाली।	समूह–"ग" (वर्ग–3) (निम्नवर्गीय लिपिक) Pay Matrix Level-2 ग्रेड पे–1,900 / – वेतनमान–5200–20200	श्रीराम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, समस्तीपुर।

संबंधित कर्मी को निदेशित है कि पत्र प्राप्ति के 15 (पन्द्रह) दिनो के अदर नव पदस्थापित संस्थान में योगदान देना सुनिश्चित करें।

(1) यह नियुक्ति आवेदक के द्वारा समर्पित शपथ–पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अकित सूचनाओ को प्रथम दृष्टया सही मानकर एव पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा मे की जा रही है। सत्यापन के क्रम मे प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी। पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने / चरित्र सत्यापन कराने की जिम्मेवारी अधीक्षक, श्रीराम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर की होगी तथा पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन (PVR) से विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करेगे।

(2) नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षो की होगी।

(3) यह नियुक्ति आवेदक के द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के आधार पर उनके शैक्षणिक एव अन्य सगत प्रमाण पत्रो को सही मानकर इस शर्त के साथ की जा रही है कि भविष्य मे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों के गलत अथवा नियम विरूद्ध पाये जाने की स्थिति मे इनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

(4) अधीक्षक, श्रीराम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, समस्तीपुर की यह जवाबदेही होगी कि नवपदस्थापित निम्नवर्गीय लिपिक से उनके शैक्षणिक व अन्य सगत प्रमाण पत्रो की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करेगे तथा मूल प्रमाण पत्रो से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे। साथ ही उनके सभी शैक्षणिक एव अन्य संगत प्रमाण पत्रो का सधारण करेगे तथा उक्त प्रमाण पत्रो का जॉच एव सत्यापन कराकर विभाग को तीन माह के अन्दर निश्चित रूप से अवगत करायेंगे।

(5) बिहार पेंशन (सशोधन) नियमावली–2005 द्वारा प्रतिवादित वित्त विभाग, बिहार, पटना के सकल्प स0–1964, दिनांक–31 08 2005 एव 768, दिनाक–03 07.2007 के अनुसार प्राप्त निदेश के आलोक में अभ्यर्थी पर नई अंशदायी पेशन योजना से आच्छादित होगे।

Santosh Sir Adesh189

(6) नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक को पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(7) योगदान के समय नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(8) अधीक्षक, श्रीराम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर द्वारा विभाग से नियुक्ति आदेश सपुष्टि कराने के पश्चात् वेतनादि का भुगतान योगदान की तिथि से किया जायेगा।

(9) नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक का प्रथम वेतनादि भुगतान उनके शैक्षणिक एव अन्य संगत प्रमाण पत्रों, पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन आदि के अतिम जॉच प्रतिवेदन के फलाफल के आधार पर किया जायेगा। कोई प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

(10) नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सख्या–1919, दिनांक–18.01.1976 के अनुपालन मे दहेज न लेने/न देने सबंधी घोषण पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

ह0/–
(डॉ0 रेखा झा)
निदेशक प्रमुख
(रोग नियंत्रण, लोक स्वा0, पारा मेडिकल्स)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना।

ज्ञापांक– 4बी/लिपिक–02–42/2026 3406(4B) **/स्वा0, पटना, दिनांक–** 17/03/2026

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7/ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–श्री अनमोल कुमार, पिता–श्री सुधीर कुमार सिह, ग्राम– रघुनाथपुर, वार्ड न0–10, पोस्ट– रघुनाथपुर, थाना– हलई ओ0 पी0, जिला– समस्तीपुर, पिन कोड–848505 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि–सिविल सर्जन, वैशाली का पत्रांक–371, दिनाक–17.02 2026 के आलोक मे सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जन्दाहा, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–अधीक्षक, श्रीराम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, वैशाली को उनके ज्ञापांक– 572/स्था0, दिनाक–30.06.2025 के क्रम मे सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये, दरभगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/3/26

निदेशक प्रमुख
(रोग नियंत्रण, लोक स्वा0, पारा मेडिकल्स)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार पटना।

Santosh Sir Adesh190